

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा जिला-भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह आर0ए0एस0

संख्या :- 103/2022 डा०फ

आवेदन सं० 510 राजपूत मुख्यालय नि० पंजीबद्ध करेड़ा-
प्रार्थी.....

बनाम

कुंजीलाल डा० जयसिंग रैगर नि० चिलेखर-
विपक्षीगण..

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश ::

दिनांक 28/3/22

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत
वेदन किया कि ग्राम ~~चिलेखर~~ पटवार हल्का ~~चिलेखर~~ तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त
की खाता संख्या ~~115~~ आराजी नम्बर ~~3020/1683~~
~~0.2529~~

..... कुल किता ~~1~~ रकबा ~~0.2529~~
भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने
दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातों की
पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक ~~28/3/22~~ को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को
नार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढी
का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी
अदंशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते
परिगिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 ~~लैण्ड~~ रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....
~~चिलेखर~~ पटवार हल्का ~~चिलेखर~~ तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या
आराजी नम्बर ~~3020/1683~~
~~0.2529~~

..... कुल किता ~~1~~ रकबा ~~0.2529~~
क्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-
ख निरीक्षक ~~जयसिंग~~ को ~~4000~~ /- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया
है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की
गी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर
गढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नही की जावे।

:- प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा
जिला भीलवाड़ा

पि :- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार
पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर करेड़ा
करेड़ा जिला भीलवाड़ा